



मध्यप्रदेश राज्यपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 130]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 30 मार्च 2015—चैत्र 9, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2015

क्र. एफ ए-3-11-2013-1-पांच (11).—मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 2011 (क्रमांक 11 सन् 2011) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-5-01-2012-1-पांच (37), दिनांक 19 अक्टूबर 2012 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अंक तथा शब्द “31 मार्च, 2015” के स्थान पर, अंक तथा शब्द “31 मार्च, 2016” स्थापित किए जाएं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2015

क्र. एफ ए-3-11-2013-1-पांच (11).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-11-2013-1-पांच (11), दिनांक 30 मार्च 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव।

Bhopal, the 30th March 2015

No. F-A-3-11-2013-1-V-(11).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the Madhya Pradesh Vilasita, Manoranjan, Amod Eevam Vigyapan Kar Adhiniyam, 2011 (No. 11 of 2011), the State Government, hereby, Makes the following amendment in this department's Notification No. F-A-5-01-2012-1-V (37), dated 19th October 2012, namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, for the figure and word “31st March, 2015”, the figure and word “31st March, 2016” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy.Secy.